रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2016/आषाढ़ 24, 1938
No. 290] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2016/ASADHA 24, 1938

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
### (भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण)
### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2016

**फा. सं. 2—15015/30/2012.**—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2015 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना फा. सं. 2-15015/30/2012 तारीख 27 नवम्बर, 2015 को प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 14 दिसंबर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :-

### विनियम

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) प्रथम संशोधन विनियम, 2016 है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनिमय, 2011 में,-

(अ) खाद्य कारोबार के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन से संबंधित विनियम 2.1 में,

i. "खाद्य कारोबार के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन" से संबंधित उपविनियम 2.1.2 में, खंड (1) में –

(क) पहले परंतुक में, "छत्तीस मास," शब्दों के स्थान पर "साठ मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में, "छत्तीस मास," शब्दों के स्थान पर "साठ मास" शब्द रखे जाएंगे ;

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन– III/4/असा./170(187)]

**टिप्पणी:** मूल खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं: 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 2-15015/30/2012, तारीख 10 जून, 2014 द्वारा किया गया है।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2016

**F. No. 2-15015/30/2012.—**Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2015, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 2-15015/30/2012, dated the 27th November, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, part-III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 14th December, 2015;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft regulations.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of Section 92 read with section 31 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, namely:—

**Regulations**

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) First Amendment Regulations, 2016.
2. In the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011,-

A. In regulation 2.1, relating to Registration and Licensing of Food Business,-

i. in sub-regulation 2.1.2, relating to "License for food business", in clause (1)-

a) in the first proviso, for the words "thirty six months", the words "sixty months" shall be substituted;

b) in the second proviso, for the words "thirty six months", the words "sixty months" shall be substituted;

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty.170(187)]

**Note:-** The principal Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide F.No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification number F. No. 2-15015/30/2012, dated 10th June, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.